न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–50/2022

जी.सी.एम.एस नं.–2022/93

1. एकमनुर पुत्र सरदुलसिंह नाबालिग जरिए कुदरतीवली एवं माता सुखजीतकौर पत्नी सरदुलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लोगवाला 3 एल जी डब्लयू तहसील पीलीबगा हाल जस्सावा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सुखजीतकौर पत्नी सरदुलसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लोगवाला 3 एल जी डब्लयू तहसील पीलीबगा हाल जस्सावा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–––वादीगण

बनाम्

1. दारासिंह पुत्र मितासिंह जाति कुम्हारसिख निवासी लोगवाला 3 एल जी डब्लयू तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट वादीगण की ओर से
2. श्री हंसराज डाल एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः–27/02/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विवादति कृषि भूमि वाके चक 20 एल एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–22 पत्थर नं.–04/38 का किला नं.–1/2 का 0.228, 2 ता 9 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 10/2 का 0.228 हैक्टर, 11/2 का 0.227 हरैक्टर, 12 ता 15 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर अनकमाण्ड, 16 ता 19 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर, 20/2 का 0.227 हैक्टर, 21/2 का 0.228 हैक्अर, 22 ता 25 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर कुल 6.198 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के मृतक पिता/पति स्व. सरदुलसिंह के अधिकार के तहत एवं प्रतिवादी सं.–1 द्वारा किये गये पारिवारिक मौखिक समझौता की पालना में वादीगण को 1/6 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें और तदुनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने का आदेश प्रतिवादी सं.–3 को दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री हंसराज डाल एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादीग संख्या 1 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 की स्वयं अर्जित सम्पति है प्रतिवादी सं.–1 द्वारा कथित कोई पारिवारिक समझौता न तो किया और ना ही ऐसा कथित पारिवारिक समझौता असित्तव में है वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में मुझ प्रतिवादी की स्वयं अर्जित सम्पति के सम्बधं में उसके 1/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित होने की घोषणा चाही है तथा स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा है जबकि स्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र एक खातेदार कृषक ही प्रस्तुत कर सकता है प्रस्तुत प्रकरण में जो कथित पारिवारिक समझौता बताया गया है जिसकी के विधिक मान्यता नहीं है, ना ही ऐसे मौखिक पारिवारिक समझौते को विधिक दृष्टि में विधि मान्य माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित सम्पति सयुक्तं हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पति ना होकर मुझ प्रतिवादी सं.–1 की स्वयं अर्जित खातेदारी सम्पति है मुझ प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में उपरोक्त सम्पति पर वादीगण के कोई अधिरकार अर्जित नहीं होते है वादीगण द्वारा दर्ज अभिवचन मुझ प्रतिवादी सं.–1 की मृत्यू उपरांत तो माने जाने योग्य हो सकते थे लेकिन मन प्रतिवादी के जीवनकाल में वादीगण को कोई हक अधिकार अर्जित नहीं होते है ऐसे स्थिति में वादीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है प्रार्थना पत्र अधिकारहित प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज हैं कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि हैं प्रार्थना पत्र मे दर्ज की गई कृषि भूमि स्वीकार नही है चूकिं विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है प्रतिवादी सं.–1 वादीगण का दादा है तथा प्रतिवादी सं.–1 द्वारा पारिवारिक समझौता के तहत 1/6 हिस्सा भूमि वादीगण को प्रदत की गई थी अन्यथा भी विवादित भूमि वादीगण की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से ही जन्म सिद्ध हक अधिकार निहित है तथा वादीगण विवादित भूमि के सहदायी एवं अशंधारी है जिस सम्बध में पक्षकारो की साक्ष्य आनी शेष है तथा प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से उठाए गए समस्त तथ्य विधि एवं तथ्यो के मिश्रित प्रश्न है जिसके [illegible] बिन्दूओं पर विवाद्यको की संरचना होने के पश्चात दोनो पक्षो की [illegible] के उपरान्त [illegible] तय किया जा सकता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र विधिनुरूप पेश किया गया है [illegible] द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पोषणीय ना होने से काबिल निरस्ती के है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं.–3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हरजा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील वादीगण/प्रतिवादी सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को सहदायिक सम्पति बताते हुए वाद पेश किया हैं लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति प्रतीत होती हो। उक्त वादाधीन सम्पति प्रतिवादी सं.–1 दारासिंह पुत्र मितासिंह की स्वअर्जित आवंटन शुदा खातेदारी कृषि भूमि हैं और विवादित कृषि भूमि का प्रतिवादी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। आंवटन शुदा भूमि की सनद चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि जरिए आवंटन शुदा हैं जो प्रतिवादी सं.–1 की स्वः अर्जित सम्पति हैं प्रतिवादी सं.–1 अपने जीवन में विवादित सम्पति का पूर्ण व एक मात्र स्वामी हैं वादीगण का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 27/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested